सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 5251
Date 20 DEC 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

अपील प्रकरण क्रमांक 05 / 2021 दिनांक 01.10.2021

श्री गणेश वारे
रायपुर
अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार
जनसूचना अधिकारी, होल्डिंग कंपनी
प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 17/12/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री गणेश वारे ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 26.08.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत ''वर्तमान में छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज में पदोन्नति आदेश जारी नही किए जा रहे है। पदोन्नति पर स्थगन से संबंधित आदेश / परिपत्र / पत्र आदि की प्रमाणित प्रति चाही गई है।''

(3) अपील की सुनवाई दिनांक 28.10.2021 को निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपील की सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को पुनः निर्धारित किया गया। नियत तिथि को अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। किन्तु उक्त तिथि को कुछ कारण वश अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतएव अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि अपील की सुनवाई किसी भी दिवस में दोपहर 12:00 बजे निर्धारित कर, सुनवाई की सूचना दूरभाष के माध्यम से देने का कष्ट करें।

दर्ज अपील की सुनवाई मौखिक रूप से दिनांक 25.11.2021 को दोपहर 11:30 बजे निर्धारित की गयी। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पुनः निर्धारित तिथि 25.11.2021 को अपरिहार्य कारणवश अपील सुनवाई को स्थगित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी और अपील की सुनवाई दिनांक 09.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी।

निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के DPIO तथा अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) (अ) अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों / दस्तावेजों का अवलोकन कर, अपीलार्थी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क सुने गए।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि चाही गई जानकारी के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नही होने का लेख किया गया है। दिनांक 11.06.2021 से 05.09.2021 तक छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनीज में पदोन्नति आदेश जारी नही किए जा रहे है। इस बीच जून 2021, जुलाई 2021 तथा अगस्त 2021 में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी/अधिकारी सेवानिवृत्त हुए है, जो पदों की रिक्कता के बाद भी पदोन्नति से वंचित हो गए। पॉवर कंपनीज में 05 कंपनियॉ है तथा पदोन्नति/पैनल संबंधी कार्य उत्पादन, वितरण एवं पारेषण कंपनियों द्वारा मुख्यालय स्तर पर तथा वितरण कंपनी में मुख्यालय के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी संधारित किया जाता है। किन्तु पदों की रिक्तता के बाद भी दिनांक 11.06.2021 से 05.09.2021 तक सभी कंपनी के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पदोन्नति आदेश जारी नही किया जाना किसी निर्देश/स्थगन का ही परिणाम प्रतीत होता है। अतः उन्हे वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(स) जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) का पक्ष कथन था कि चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1728 दिनांक 26.08.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

जैसा कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनीज में पदोन्नति आदेश जारी नही किए जा रहे है। पदोन्नति पर स्थगन से संबंधित आदेश/परिपत्र/पत्र की प्रति चाही गई है, जो इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रक्रिया से अवगत कराया गया कि पॉवर कंपनीज में पदोन्नत किए जाने वाले पद पर उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले कार्मिकों के विचारण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक पूरे वर्ष में उदभूत रिक्तियों को भरे जाने हेतु आयोजित की जाती है। उक्त पदोन्नति पेनल पूरे वर्ष हेतु मान्य होता है। रिक्त पदों को भरे जाने के पूर्व यह देखा जाता है कि संबंधित विचारण में आने वाले कार्मिकों जिसकी पदोन्नति होनी है, वे पदोन्नत पद हेतु निर्धारित अर्हतॉए पूर्ण कर रहे है, तथा विभागीय जॉच लंबित संबंधी जानकारी आदि प्राप्त होने पर नियमानुसार पदोन्नति की जाती है। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया में समय लगता है। उक्त दिये गए तर्क से अपीलार्थी द्वारा संतुष्ठी व्यक्त किया गया।

(5) जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी की मांग की गई है वह इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नही है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

यहॉ यह लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रथमतः उस जानकारी का अस्तित्व में होना अपेक्षित है, केवल संभावनाओं के आधार पर अथवा परिकल्पनाओं के अधीन न तो कोई जानकारी प्राप्त की जा सकती है और न ही यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नही है।

(6) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा पैरा 04 के कंड़िका (स) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है।

जैसा कि इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में पदोन्नति आदेश पर स्थगन से संबंधित आदेश/परिपत्र/पत्र की

जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों में उपलब्ध नही है। इस तथ्य से जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत करा दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है। केवल अनुमान के आधार पर मांगी गई कोई सूचना दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी कोई सूचना नहीं दी जा सकती जो कि अस्तित्व में न हो या कार्यालयीन अभिलेख में संधारित न हो।

(7) अतएव प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही किया गया है वह स्वीकार योग्य है। अतः दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 05/2021 दिनांक 01.10.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –05/2021/29 रायपुर, दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4). श्री गणेश वारे, पिता श्री मोहन लाल वारे, छोटा भवानी नगर, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, वार्ड क्रमांक –20, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700